प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –480 / 2023

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र हनुमान जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. हनुमान पुत्र डुंगर उर्फ डुंगरराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. छोटू पुत्र हनुमान जाति धानक निवासी बालासर तसहील नोहर।
3. मोमनराम पुत्र हनुमान जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
4. प्रताप पुत्र हनुमान जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
5. जमना पुत्री हनुमान जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 15.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 365 / 320 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 143 / 139 की कुल 5.3110 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी की दादी मृतका गोगा पत्नी डुंगर के नाम दर्ज है व शेष 1 / 2हिस्सा भूमि व रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 321 / 274 की कुल 12.1910 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी उपरोक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 5 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों व पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्याा 365 / 320 व रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 143 / 139 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

ता 4 बहिब काबिज है व रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 321/274 पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा बालासर सम्वत 2070–73 खाता संख्या 365, 321 प्रदर्श 1 ता 2, जमाबंदी रोही मौजा रेख मालिया सम्वत 2070–73 खाता संख्या 143 प्रदर्श–3, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–4, मिलान क्षेत्रफल रोही मौजा रेखमालिया प्रदर्श–5, जमाबंदी रोही मौजा रेखमालिया प्रदर्श–6, जमाबंदी बालासर भूप्रबन्धन विभाग सम्वत 2029–38 प्रदर्श–7, मिलान क्षेत्रफल बालासर प्रदर्श–8, जमाबंदी बालासर सम्वत 2016–19 बहक लुणा प्रदर्श–9, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक गोगा आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 365/320 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 143/139 की कुल 5.3110 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी की दादी मृतका गोगा पत्नी डुंगर के नाम दर्ज है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 321/274 की [illegible]1910 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त [illegible] पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 10 से साबित है कि गोगा पत्नी डुंगर का देहान्त हो चुका है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार मृतक गोगा व हनुमान के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी के वाद के संबंध में वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 365/320 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 143/139 की कुल 5.3110 हैक्ट भूमि में दोनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक गोगा पत्नी डुंगर का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 321/274 की कुल 12.1910 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बडबिराना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –480/2023
अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र हनुमान जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हनुमान पुत्र डुंगर उर्फ डुंगरराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. छोटू पुत्र हनुमान जाति धानक निवासी बालासर तसहील नोहर।
3. मोमनराम पुत्र हनुमान जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
4. प्रताप पुत्र हनुमान जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
5. जमना पुत्री हनुमान जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 480 सन 2023 निर्णय दिनांक 15.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 365/320 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 143/139 की कुल 5.3110 हैक्ट भूमि में दोनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक गोगा पत्नी डुंगर का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 321/274 की कुल 12.1910 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष –2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:58 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बडबिराना